भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1124

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**रामगुंडम में एफसीआई की इकाई को पुन: चालू किया जाना**

**1124. श्री वाई.एस. चौधरी:**

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार आंध्र प्रदेश के रामगुंडम स्थित दी फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकाई को पुन: चालू करने पर विचार कर र‍ही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्‍या स्थिति है;

(ग) क्‍या रामगुंडम स्थित उर्वरक कारखाने के पुन:चालू करने से वर्तमान उर्वरक उत्‍पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आज की तिथि के अनुसार क्‍या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (घ):** जी हां। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रामगुंडम उर्वरक संयंत्र समेत एफसीआईएल की सभी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अगस्‍त 2011 में प्रारूप पुनर्वास योजना (डीआरएस) अनुमोदित की है। डीआरएस में मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल) एवं मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) द्वारा रामगुंडम इकाई के पुनरुद्धार का उल्‍लेख है। हाल ही में, सीसीईए ने 9.5.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अन्‍य बातों के साथ-साथ फर्टिलाइजर कॉरर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) को भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं ब्‍याज की माफी का अनुमोदन किया है ताकि एफसीआईएल सकारात्‍मक निवल मूल्‍य प्राप्‍त कर सके। इससे एफसीआईएल औद्योगिक एवं वित्‍तीय पुनर्सरंचना बोर्ड (बीआईएफआर) के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल पाया। सरकार अन्‍य अनुमत औद्योगिक कार्यकलापों के अलावा रामगुंडम समेत एफसीआईएल की प्रत्‍येक बंद इकाई पर न्‍यूनतम 1.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष के यूरिया संयंत्र की स्‍थापना के जरिए खाली पड़ी भूमि एवं परिसम्‍पत्तियों के लाभकारी उपयोग पर विचार कर रही है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*